राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.6(1)वित्त/साविलेनि/2005 पार्ट–। जयपुर, दिनांक : 27.09.2018

परिपत्र

विषय : **अनुपयोगी/नाकारा स्टोर्स निस्तारण अभियान की अवधि बढ़ाने बाबत्।**

राजकीय विभागों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/कंपनियों/बोर्ड्स आदि में उपलब्ध बेशी/अनुपयोगी/अप्रचलित भण्डार सामग्री/वाहन आदि के निस्तारण हेतु अभियान चलाया जाकर विस्तृत दिशा–निर्देश परिपत्र संख्या 5/2018 दिनांक 02.04.2018 से जारी किये गये थे। राज्य के सभी कार्यालय इस अभियान अवधि में समस्त अनुपयोगी सामान का नियमानुसार निस्तारण कर सकें इस उद्देश्य से **इस अभियान की अवधि दिनांक 30.09.2018 के स्थान पर बढ़ाकर 31.12.2018 तक निर्धारित की जाती है। संदर्भित परिपत्र के प्रावधान दिनांक 31.12.2018 तक प्रभावी रहेंगे।**

सभी प्रशासनिक सचिवगण/विभागाध्यक्ष निर्धारित दिनांक तक शत–प्रतिशत पालना सुनिश्चित करावें।

(मंजू राजपाल)
शासन सचिव वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/समस्त अति.मुख्य सचिव/ समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव/समस्त विशिष्ट शासन सचिव को उनके अधीनस्थ विभागों एवं उपक्रमों में लागू करवाने हेतु।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर । 4. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर ।
5. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर । 6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
7. समस्त संयुक्त/उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग।
8. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण)/निदेशक, निरीक्षण विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में पालना रिपोर्ट से अवगत कराने का श्रम करावें।
9. प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर ।
10. महालेखाकार (प्राप्ति एवं वाणिज्यिक लेखा परीक्षा)/(ए एण्ड ई) राजस्थान, जयपुर ।
11. समस्त संभागीय आयुक्त/विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर ।
12. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी समस्त विभाग।
13. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर । 14. समस्त कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी।
15. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित ।
16. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
17. निदेशक, (तकनिकी) वित्त विभाग कृपया इस परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करावें।

शासन संयुक्त सचिव

(GF&AR - 11/2018)